न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 12.07.2017

अपील संख्या 2017/00201

उनवान

1. मोहनलाल आयु 54 वर्ष पुत्र मूल्या, जाति माली, निवासी ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
2. कस्तूरीबाई आयु 86 वर्ष पुत्री पांच्या पत्नि बंशीलाल, जाति माली, निवासी ग्राम अर्डान, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. बद्रीलाल आयु 76 वर्ष पुत्र रामनाथ, जाति माली, निवासी ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
2. गुलाबचन्द आयु 71 वर्ष पुत्र रामनाथ, जाति माली, निवासी ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
3. जगमोहन आयु 41 वर्ष पुत्र चतुर्भुज, जाति माली, निवासी ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
4. महेन्द्र आयु 30 वर्ष पुत्र चतुर्भुज, जाति माली, निवासी ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
5. गोबरीबाई आयु 38 वर्ष पुत्री चतुर्भुज पत्नि सूरजमल, जाति माली, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)
6. पिंकेश बाई आयु 34 वर्ष पुत्री चतुर्भुज पत्नि सूरजमल, जाति माली, निवासी सारथल, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)
7. पुष्पाबाई आयु 66 वर्ष बेवा चतुर्भुज, जाति माली, निवासी ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
8. राधेश्याम आयु 61 वर्ष पुत्र रामनाथ, जाति माली, निवासी ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
9. सत्यनारायण आयु 44 वर्ष पुत्र केदारलाल, जाति माली, निवासी ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
10. मोहनीबाई आयु 46 वर्ष पुत्री केदारलाल पत्नि बृजमोहन, जाति माली, निवासी ग्राम अर्डान, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
11. लाडबाई आयु 41 वर्ष पुत्री केदारलाल पत्नि धर्मा जी जाति माली, निवासी चाचोडा दरवाजा जामुन वालों की बाड़ी छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)
12. संतोषबाई आयु 39 वर्ष पुत्री केदारलाल पत्नि रमेश जी, जाति माली, निवासी मकान नं. 54 महावीर दूध डेयरी के पीछे बालाकुण्ड, कोटा, जिला कोटा (राज0)
13. मन्जूबाई आयु 36 वर्ष पुत्री केदारलाल पत्नि अशोक जी, जाति माली, निवासी मंडोली, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

3-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा.

14. कंचनबाई आयु 66 वर्ष बेवा केदारलाल, जाति माली, निवासी ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
15. छीतरलाल आयु 68 वर्ष पुत्र कजोड, जाति माली, निवासी ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
16. सुरेश आयु 31 वर्ष पुत्र रामचरण, जाति माली, निवासी ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
17. राधाकिशन आयु 28 वर्ष पुत्र रामचरण, जाति माली, निवासी ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
18. पूरणमल आयु 46 वर्ष पुत्र जमनालाल, जाति माली, निवासी न्यामतपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)
19. किशनगोपाल आयु 56 वर्ष पुत्र नारायण, जाति माली, निवासी ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
20. शांतिबाई आयु 66 वर्ष पुत्री नारायण, जाति माली, निवासी ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
21. भूली आयु 46 वर्ष पुत्री नारायण पत्नि घासी, जाति माली, निवासी केरवालिया, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
22. देवीलाल आयु 66 वर्ष पुत्र माधो, जाति माली, निवासी सालपुरा स्टेशन कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
23. हरिराम आयु 61 वर्ष पुत्र माधो, जाति माली, निवासी ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
24. हंसराज आयु 56 वर्ष पुत्र माधो, जाति माली, निवासी ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
25. पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई जरिये शाखा प्रबन्धक
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अटरू, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 03.09.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 156/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और

3-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह कथन किया कि ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान में खाता संख्या 369 जमाबंदी संवत 2063 – 2066 में आराजी खसरा नं. 421 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नं. 625 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा नं. 629 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नं. 663 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नं. 792 रकबा 0.23 हेक्टर, खसरा नं. 910 रकबा 0.49 हेक्टर, खसरा नं. 911 रकबा 0.22 हेक्टर, खसरा नं. 912 रकबा 0.23 हेक्टर, खसरा नं. 920 रकबा 0.86 हेक्टर, खसरा नं. 921 रकबा 0.31 हेक्टर, खसरा नं. 924 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा नं. 931 रकबा 0.62 हेक्टर, खसरा नं. 932 रकबा 0.68 हेक्टर, खसरा नं. 936 रकबा 0.26 हेक्टर, खसरा नं. 1276 रकबा 0.21 हेक्टर, खसरा नं. 1711 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नं. 1712 रकबा 0.24 हेक्टर, खसरा नं. 1713 रकबा 0.22 हेक्टर, खसरा नं. 1714 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नं. 1715 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नं. 1716 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नं. 1717 रकबा 0.29 हेक्टर, खसरा नं. 1718 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नं. 1720 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नं. 1721 रकबा 0.23 हेक्टर, खसरा नं. 1722 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नं. 1723 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नं. 1724 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नं. 925 रकबा 0.43 हेक्टर कुल किता 29 कुल रकबा 7.21 हेक्टर आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2017 वादीगण अपीलांट का वाद खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2017 खिलाफ कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा एक वाद बाबत विभाजन पेश कर निवेदन किया था कि वागे ग्राम कवाई तहसील अटरू में स्थित आराजी कुल किता 29 कुल रकबा 7.21 हेक्टर में से अपीलांट के हिस्से 1/8 खसरा नं. 931 रकबा 0.62 हेक्टर, खसरा नं. 1715 रकबा 0.15 हेक्टर कुल 2 किता रकबा 0.77 हेक्टर पर अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से बाहमी विभाजन में अपीलांट के कब्जे काश्त में है, को अलग से खाता विभाजन किया जाकर अपीलांट/वादीगण के नाम दर्ज की जावे तथा कागजात राज में अलग दरामद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकीयात कायम किये, बिना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध एवं न्याय के स्वीकृत सिद्धांतों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलांट/वादीगण सहखातेदार पांच्या वल्द सेवा के वारिसान है, पांच्या का विवादित आराजी में 1/8 हिस्सा निहित है जो बाहमी विभाजन अनुसार पांच्या के हिस्से में खसरा नं. 931 रकबा 0.62 हेक्टर, खसरा नं. 1715 रकबा 0.15 हेक्टर कुल 2 किता रकबा 0.77 हेक्टर आया था तथा पांच्या के मरने के बाद

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
... अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट/वादीगण जो मृतक पांच्या के जीवित वारिसान हैं जिनका कब्जा उक्त आराजी पर मौके पर चला आ रहा है तथा अपीलांट/वादीगण आराजी वाके ग्राम कवाई, तहसील अटरू की खसरा नं. 931 रकबा 0.62 हेक्टर, खसरा नं. 1715 रकबा 0.15 हेक्टर कुल 2 किता रकबा 0.77 हेक्टर पर प्रतिवर्ष फसल बोते एवं काटते चले आ रहे हैं। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर न करके उक्त वाद को खारिज करने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हम पांच्या के वारिस हैं। वादग्रस्त आराजी में हमारा 1/8 हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकी कायम नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने हमें साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम नहीं की गयी। साक्ष्य वादी प्राप्त की गयी। प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में नियत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिखा गया कि राजस्व रेकार्ड में वादीगण का कोई हिस्सा दर्ज नहीं है। जमाबंदी के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी अपीलांट का नाम विवादित आराजी की जमाबंदी में दर्ज है। प्रतिवादी द्वारा भी इस तथ्य से इंकार नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को वादी के दावे एवं प्रतिवादी के जवाब दावे के आधार पर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर निर्णय पारित करना चाहिए था जो नहीं कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत तथा सी.पी.सी. के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

राजस्व लोक अदालत में प्रकरण का सरसरी तौर पर विधि एवं तथ्य के प्रश्नों का परीक्षण किये बिना निर्णय करना अत्यधिक त्रुटिपूर्ण है। अतः उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते हैं।

3-1-2014

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा.

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण में तनकी कायम कर प्रकरण का तनकीवार निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.11.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा